

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (ज.प.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 253/2023(जी.सी.ए.एस. 2023/338)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. काका सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. कुलदीप सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	2. गुरजन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	3. गुरजन्त सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	4. गुरमीत सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	5. ज्ञानचन्द पुत्र बधावा राम जाति अरोडा निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	6. जसविन्द्र कौर पत्नी काका सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	7. दर्शन लाल पुत्र बधावा राम जाति अरोडा निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	8. नवदीप कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	9. शीला कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	10. इमानजीत सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	11. गगनदीप कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	12. इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	13. गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	14. दिलबाग सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	15. गुरपाल सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	16. रणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर	
	17. राजस्थान राज्य तहसीलदार राज्य सरकार।	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 31.07.2023

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

2. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 16

--निर्णय--

दिनांक:

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 43 जी जी खरला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 5, 36 में कुल क्षेत्रफल 9.438 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। चक 43 जी जी खरला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 4/04 में मुरब्बा नम्बर 14 में कुल क्षेत्रफल 6.325 है0 नहरी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। चक 43 जी जी खरला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 23/23 के मुरब्बा

नम्बर 6, 35, 64/02, 64/13 मे कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। चक 43 जी जी खरला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुर्ब्बा नम्बर 15 में कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी मय बाग कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। चक 43 जी जी खरला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44/44 के मुर्ब्बा नम्बर 6, 35, 64/3, 64/34 में कुल क्षेत्रफल 6.324 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख में दर्ज अपने हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे है। पक्षकारान एक ही गांव व एक परिवार के सदस्यगण है। पक्षकारान अपनी भूमि पर पिछले 25-30 वर्षों से घरू मौखिक बटवारा के अनुसार शान्तिपूर्वक निर्बाध निरन्तर काबिज चले आ रहे है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 25 के 6.699 है0, मुर्ब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 25 के 6.325 है0 मुर्ब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.253 है0, 21, 22 प्रत्येक 0.228 है0, 19 के 0.064 है0 के 1.535 है0, मुर्ब्बा नम्बर 64/13 के 0.076 है0 गैरमुमकीन खाला, 64/34 के 0.051 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 14.183 है0 नहरी मय खाला भूमि पर काका सिंह, गुरजन्त सिंह, कुलदीप सिंह, जसविन्द्र कौर, शीला कौर, गगनदीप कौर, इमानजीत सिंह पक्षकारान का कब्जा अपने अपने हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से चला आ रहा है। चक 43 जी जी खरला के मुर्ब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 11 ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर के कुल 2.530 है0 21 ता 25 प्रत्येक 0.228 है के 1.140 है0 कुल 3.670 है0 नहरी भूमि पर गुरमीत सिंह पुत्र लाभ सिंह का कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 2 के 0.0228 है0, 3 ता 8 प्रत्येक 0.28 है0, 13 ता 18 प्रत्येक 0.253 है0, 19, 22 प्रत्येक 0.028 है0 23 ता 25 प्रत्येक 0.228 है0 3.872 है नहरी मुर्ब्बा नम्बर 64/3 के 0.075 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 3.935 है0 नहरी मय खाला गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व जसविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह का कब्जा अपने हिस्सा अनुसार चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.025 है0 कुल 0.125 है0 नहरी भूमि गुरमीत सिंह व गुरजन्त सिंह पिसरान महेन्द्र सिंह का कब्जा अपने हिस्सा अनुसार चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी भूमि पर नवदीप कौर पत्नी गुरजन्त सिंह का कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 20 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 5.060 है0 नहरी भूमि पर नवदीप कौर पत्नी गुरजन्त सिंह व गुरजन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह का अपने अपने हिस्सा अनुसार कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी भूमि पर दिलबाग सिंह का कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक 0.23 है0 मे 1.265 है0, मुर्ब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.253 है0, 21 के 0.228 है0, किला नम्बर 2, 9, 12 प्रत्येक 0.051 है0 19, 22 प्रत्येक 0.050 है0 में 2.758 है0, 64/02 के 0.051 है0 में से 0.025 है0 गैरमुमकिन खाला 2.783 है0 इन्द्रजीत सिंह, रणजीत सिंह पिसरान हरनेक सिंह का अपने अपने हिस्सा अनुसार कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 2, 9, 12 प्रत्येक 0.174 है0, 22 के 0.149 है0, 64/02 में से 0.026 है0 कुल 0.870 है मय खाला भूमि पर गुरपाल सिंह का कब्जा चला आ रहा है। चक 43 जी जी के मुर्ब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12 प्रत्येक 0.253 है0, 13/1 के 0.127 है0, 19 के 0.189 है0 कुल 1.581 है0 नहरी भूमि पर ज्ञान चन्द व दर्शन लाल अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है। पक्षकारान पारस्परिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त भूमि पक्षकारान के नाम से अलग-अलग खाता में वर्णित है और राजस्व अभिलेख के अनुसार उनका कब्जा व काशत एक दूसरे के मुर्ब्बाजात व खाताजात में है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा बंटवारानामा मुताबिक नही होने के कारण पक्षकारान को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। पक्षकारान को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काशत करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा

राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा पक्षकारान के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से पक्षकारान अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारा अनुसार भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जारिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उर्पस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किए जाने वावत निवेदन किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 05, 36 की कुल 9.438 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 23/23 के मुरब्बा नम्बर 23/23 के मुरब्बा नम्बर 6, 35, 64/2, 64/13 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 15 की 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 6, 35, 64/3, 64/34 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।
4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

--:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 05, 36 की कुल 9.438 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 23/23 के मुरब्बा नम्बर 23/23 के मुरब्बा नम्बर 6, 35, 64/2, 64/13 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 15 की 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 6, 35, 64/3, 64/34 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

5	नवदीप कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(2.369 हैक्टेयर), गुरजन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(2.691 हैक्टेयर),	43 जीजी	14	1 ता 20	5.060 हैक्टेयर	नहरी	38.00
6	दिलबाग सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(1.233 हैक्टेयर),	43 जीजी	15	1 ता 4 5/1	1.012 हैक्टेयर 0.221 हैक्टेयर	नहरी नहरी	7.60 1.66
7	इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(1.993 हैक्टेयर), रणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर (0.759 हैक्टेयर)	43 जीजी	6 64/1 15	1,10,11,20 21 2/1 9/1 12/1 19/1 22/1 6/2 7 ता 10	1.012 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर 0.222 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा. नहरी नहरी	7.60 1.71 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.00 1.67 7.60
8	गुरपाल सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(0.872 हैक्टेयर)	43 जीजी	6 64/2	2 9 12 19 22	0.174 हैक्टेयर 0.174 हैक्टेयर 0.174 हैक्टेयर 0.175 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.026 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.31 1.31 1.31 1.31 1.12 0.00
9	ज्ञानचन्द पुत्र बधावा राम जाति अरोडा निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर (0.790 हैक्टेयर), दर्शन लाल पुत्र बधावा राम जाति अरोडा निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(0.791 हैक्टेयर),	43 जीजी	5	2,3,8,9 12 13/1 19	1.012 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.189 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	7.60 1.90 0.95 1.42
10	दिलबाग सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर (0.032 हैक्टेयर), इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर(0.031 है.),	43 जीजी	15	11/1 20/1 21/1	0.025 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	0.19 0.19 0.10
11	गुरमीत सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जी जी खरला तहसील श्रीकरणपुर (3.670 हैक्टेयर),	43 जीजी	15	5/2 6/2 11/2 12 ता 19 20/2 21/2 22 23 24 25	0.032 हैक्टेयर 0.031 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 2.024 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.24 0.23 1.71 1.52 1.71 1.61 1.71 1.71 1.71 1.71

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलासे सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एम.)
सहायक कलक्टर एवं एडिटर राजस्व कोठी
उपरस्यण्ड अधिकारी (राजस्व कोठी)
श्री करणपुर जिला श्रीमानसर

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एम.)
सहायक कलक्टर एवं एडिटर राजस्व कोठी
उपरस्यण्ड अधिकारी (राजस्व कोठी)
श्री करणपुर जिला श्रीमानसर